न्यायालय भू० अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 64/2021 GCMS No 2021/164
दायरा तिथि : 10.08.2021
फैसला तिथि : 30-09-2024

प्रार्थी::–

रामसिंह पुत्र श्री पूरणसिंह जाति गुर्जर निवासी मोरीबेडा स्टेशन तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–

1. श्री दिग्विजयसिंह कुम्पावत .... अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. नायब तहसीलदार, बाली .... पैरोकार सरकार की ओर से

–:: आदेश ::– दिनांक 30-09-2024

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा ग्राम मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 1050, 1233, 1233/1344 कुल खसरा–03 कुल रकबा 1. 64 हैक्टर में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम रमेश पुत्र पुरा** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम रामसिंह पुत्र पूरणसिंह शुद्ध** किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्यवादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति व आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि में **नाम रमेश पुत्र पुरा** नामान्तरकरण संख्या 99/1992 से दर्ज होना बताया तथा प्रार्थी द्वारा अपना नाम अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि में अपनी सुविधा अनुसार दर्ज कराया है एंव नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज के पश्चात बनाये है। तहसीलदार बाली ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की अनुशंषा की है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील प्रार्थी श्री दिग्विजयसिंह कुम्पावत ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी का **सही व वास्तविक नाम रामसिंह पुत्र पूरणसिंह** है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज, आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश कर दी है। पेरोकार सरकार ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की दलील दी है।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 खारिज किया जाता हैं। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली
आर.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 30-09-24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

Scanned with CamScanner